रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 03, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 585

No. 157] DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/ SHRAVANA 03, 1940 [N.C.T.D. No. 585

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

सं.एफ.19/डीडीई(आई.ई.डी.एस.एस)/ऐडमिन.सेल/पीएसबी/2018/26923.––दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18वां) की धारा 3 की उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 35 की उप–धारा (2) के साथ पठित धारा 2 की खण्ड (घ) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुसार प्रकाशित दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश 2011 अद्यतन संशोधित में निम्नलिखित संशोधन का आदेश करते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1)** इस आदेश को दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) संशोधन आदेश, 2018 कहा जायेगा।

   (2) यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

2. दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश 2011 के खण्ड 3 के उप–खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

   3 (क) "सभी विद्यालय, जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के उपबंधों के अन्तर्गत धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (iii) एवं (iv) में विर्निदिष्ट है, कक्षा प्रथम में निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग से सम्बंधित

बच्चों को उस कक्षा की संख्या बल का कम से कम 25 प्रतिशत तक प्रवेश देंगें तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक उक्त अधिनियम, 2009 की धारा 12 के उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के उपबंधों के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगें।

परंतु उपरोक्त 25 प्रतिशत सीटों के अन्तर्गत 3 प्रतिशत सीटों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों जोकि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 में वर्णित हैं के प्रवेश हेतु सुरक्षित रखा जायेगा जोकि उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 12549/2014 शीर्षक उप–राज्यपाल बनाम प्रमोद अरोरा में पारित अंतिम परिणाम के अधीन होगा। इस तरह के दाखिलों में निकटवर्ती क्षेत्रीय मापदण्ड माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 1225/2014 में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2014 के आलोक में लागू नहीं होगा।

परंतु यह और कि जहॉ ऐसे विद्यालय, जो विद्यालय पूर्व शिक्षा देते है, वहॉ ऐसी विद्यालय में पूर्व शिक्षा में प्रवेश के लिए उक्त उपबंध लागू होगा।

दिनांक 25–01–2007 के आदेश संख्या डी.ई/15/अधि/2006/424 के अधिक्रमण में कुछ भी रहते हुए विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आंबटित की गई थी, वे निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को इस निदेशालय के दिनांक 07–01–2011 अधिसूचना में यथा उपबन्धित उसी प्रकार से प्रवेश स्तर (पूर्व शिक्षा/पूर्व–प्राइमरी/कक्षा–1) से ऊपर अन्य कक्षाओं में किये गये सभी प्रवेशों में भी 20 प्रतिशत तक प्रवेश देंगें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

बिनय भूषण, विशेष शिक्षा निदेशक

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2018

No.F.19/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/PSB/2018/26923.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973 and sub-section (2) of section 35 read with clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following order to amend the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011, namely: --

1. Short title and commencement (1) This order may be called the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Amendment Order, 2018.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Delhi School Education (Free seats for students belonging to Economically Weaker Section and Disadvantaged Group) order, 2011, for sub-clause (a) of clause 3, the following clause shall be substituted, namely: -

3(a) "All schools specified in sub clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 shall admit children, in class one to the extent of at least twenty-five percent of the strength of that class, from children belonging to weaker sections and disadvantaged groups in neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion as per provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the said Act, 2009;

Provided that within twenty-five percent seats as referred above, three percent seats shall be reserved in private unaided schools for admission of Children With Disabilities as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 subject to the final outcome of SLP No. 12549/2014 titled as "Lt. Governor, Delhi and Ors. Vs Pramod Arora. Such admissions shall be done without considering any neighborhood criteria in view of the judgment dated 03rd April, 2014 of the Hon'ble High Court in WPC-1225/2014.

Provided further that where such school imparts pre-school education, the above provisions shall apply for admission to such pre-school education;

notwithstanding supersession of order No F.DE/15/ACT/2006/424 dated 25th January, 2007, the school (including minority) which were allotted land by the government shall also admit children from economically weaker section in neighborhood to the extent of twenty percent in all fresh admissions made in other classes above the entry level (Pre-School/Pre-Primary/Class-I) in the same manner as provided in this Directorate's notification dated 07th January, 2011."

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

Binay Bhushan, Spl. Director of Education

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.08 18:26:24 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.